प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका(सिविल) क्रमांक 6450/2024

• ऐवाज देवांगन पिता स्व. श्री फूल सिंह देवांगन, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी– त्रिमूर्ति नगर, वार्ड क्रमांक 31, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, नगर निगम बीरगांव, थाना– उरला, तहसील– रायपुर, जिला– रायपुर, छ.ग.

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य ,द्वारा– सचिव नगरीय विकास एवं योजना विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, थाना– राखी, रायपुर, जिला– रायपुर, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन महानदी भवन, नया रायपुर, थाना– राखी, रायपुर, जिला– रायपुर, छ.ग.

3. नगर निगम, बीरगांव द्वारा–आयुक्त, तहसील– रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.

4. मेसर्स इंडो चेन्स, द्वारा–प्रबंध निदेशक, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत एक भागीदारी फर्म, जिसका कारखाना इकाई औद्योगिक क्षेत्र, भनपुरी, रायपुर, जिला– रायपुर, छ.ग. में है।

5. उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, द्वारा–प्रबंध निदेशक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज, तत्कालीन मध्य प्रदेश के अधीन एक पंजीकृत एसोसिएशन एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय उरला इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, उरला, रायपुर, जिला– रायपुर, छ.ग. में है।

6. छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, द्वारा–प्रबंध निदेशक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज, तत्कालीन मध्य प्रदेश के अधीन एक विधिवत पंजीकृत एसोसिएशन ,एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 8–बी, औद्योगिक एस्टेट, भनपुरी, रायपुर, जिला– रायपुर, छ.ग. में है।

...उत्तरवादीगण

(वाद– शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से	:	श्री ऋषभ बिसेन, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से	:	श्री सतीश गुप्ता, अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु)

बोर्ड पर आदेश

02/01/2025

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. वर्तमान रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता उत्तरवादी राज्य द्वारा पारित दिनांक 13/09/2023 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है और उत्तरवाादीगण को वित्तीय वर्ष 01/04/2010 से प्रारंभ होने वाले नगर निगम, बीरगांव की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित समस्त कारखानों/उद्योगों से नगरपालिका करों की देय राशि पर्याप्त अर्थदंड सहित वसूलने का निर्देश देने की भी मांग कर रहा है।

2. (i) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अधिसूचना दिनांक 22/12/2009 के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र 6 गांवों के अंतर्गत आता है, अर्थात् बीरगांव, उरला, अछोली, सरोना, रावाभाठा और उरकुरा को भी नगर परिषद बीरगांव की नगरपालिका सीमा और अधिकारिता में सम्मिलित किया गया था। उन्होंने आगे तर्क किया कि नगर परिषद, बीरगांव को नगर निगम, बीरगांव के रूप में अपग्रेड किया गया था, जिससे नगर परिषद, बीरगांव की सीमाओं को नगर निगम बीरगांव की सीमा घोषित किया गया था। उन्होंने तर्क किया कि समय के साथ नगर पालिकाओं के करों में वृद्धि हुई है तथा अंतिम निर्धारण दिनाँक 16/02/2015 तथा 23/03/2015 को किया गया था।

(ii) विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, नगर निगम अधिनियम, 1956 के अध्याय IV के अंतर्गत धारा 132 से 142 के अधीन नगर पालिकाओं के कराधान की शक्तियां निर्धारित हैं तथा इन्हें वित्तीय वर्ष में लगाया जाना तथा वसूला जाना है, तत्पश्चात जुर्माना निर्धारित किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अमीर, प्रभावशाली, शक्तिशाली उद्योगपतियों को जानबूझकर नगर निगम करों के भुगतान से

अघोषित छूट प्रदान की जाती है, जबकि नगर निगम, बीरगांव की अपेक्षित आय के रूप में बजट में इन्हें प्रतिवर्ष लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता दिनाँक 15/02/2016 से निरंतर उत्तरवादी राज्य सहित समस्त सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन कर रहा है, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ।

3. दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि दिनांक 13/09/2023 का आक्षेपित आदेश उत्तरवादी राज्य द्वारा जनहित में पारित किया गया है और याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत समर्थता से वर्तमान याचिका प्रस्तुत किया है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

5. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि इसे छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जनहित में तथा उद्योगों को छूट देने के लिए पारित किया गया है, ताकि वे राज्य में उद्योग स्थापित कर सकें। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अपने व्यक्तिगत समर्थता से प्रस्तुत किया है, जबकि प्रकरण व्यापक जनहित से जुड़ा है और ऐसे में यदि याचिकाकर्ता इसे चुनौती देना चाहता है, तो वह उपयुक्त फोरम के समक्ष रिट याचिका (जनहित) प्रस्तुत कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह सामान्य विधि है कि सामान्यतः, जो व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अनुतोष की मांग करता है, उसके पास विषय–वस्तु में व्यक्तिगत या वैयक्तिक अधिकार होना चाहिए एवं "सामान्यतः" शब्द में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो किसी प्राधिकारी के कार्य या लोप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो।

7. यह भी सुस्थापित विधि है कि यदि कोई व्यक्ति आक्षेपित आदेश से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित न होता हो या उसके मौलिक अधिकारों पर न तो प्रत्यक्षतः या मूलत: अतिक्रमण किया गया हो और न ही ऐसे अधिकारों पर अतिक्रमण होने का कोई आसन्न संकट हो या लागू नियमों की अनदेखी करके उसके अर्जित हितों का उल्लंघन किया गया हो, तो उसे रिट याचिका प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होगा। **(देखें: विनय कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य)**[1]

8. उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका को सुनवाई योग्य न होने के कारण आरंभिक सुनवाई के स्तर पर ही खारिज किया जाता है, तथापि, याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह उपयुक्त फोरम के समक्ष रिट याचिका (जनहित) प्रस्तुत कर सकता है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

1 (2001) 4 SCC 734

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रकरण के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है।

सही/–

(बिभु दत्त गुरु)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Head Note

WPC No. 6450 of 2024

A person shall have no locus standi to file a writ petition if he is not personally affected by any order/action or his fundamental rights invaded or violated.

किसी व्यक्ति द्वारा रिट् याचिका प्रस्तुत किये जाने पर उसे सुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह किसी आदेश/ कार्यवाही से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित न होता हो या उसके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन न होता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur